कार्यपालिक सारांश

इस अध्याय में हमने क्या रेखांकित किया है

इस अध्याय में, हमने वन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के दौरान पायी गयी वनोपज में सुखत, काष्ठगार में काष्ठ की कम प्राप्ति, वनोपज के परिवहन में देरी के कारण राजस्व हानि,आदि के राशि ₹ 72.04 लाख के कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण प्रस्तुत किया है।

इसी प्रकार, इस अध्याय में हमने ब्याज प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा के दौरान सात विभागो में राशि ₹ 253.58 करोड़ के लेखापरीक्षा परिणाम दर्शाये है।

वर्ष 2011-12 में संपादित लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2011-12 में वन विभाग की 12 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं बांस/काष्ठ के विदोहन न करने, बांस/काष्ठ के कम उत्पादन, वनोपज की कमी, राजस्व हानि आदि के कारण राजस्व की कम/अवसूली के 335 प्रकरण पाया, जिनमें ₹ 23.38 करोड़ की राशि सन्निहित थी। वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने 14 प्रकरणों में राशि ₹ 18 लाख की हानि को स्वीकार किया एवं एक प्रकरण में राशि ₹12,640/- की वसूली की।

हमारे द्वारा ब्याज प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में वित्त विभाग एवं सात विभाग अर्थात कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं यान्त्रिकी, परिवहन तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास के लेखाओं की जाँच वर्ष 2011-12 में की गई। हमने ऋण एवं अग्रिमों पर लेखा परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संपादित किया कि क्या प्रणालीगत एवं अनुपालन तथा अभिलेखों के संधारण को प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। हमारे द्वारा ऋणों पर ब्याज प्राप्तियाँ से संबंधित अभिलेखों की जाँच में ब्याज के अवरोपण/अनारोपण, दंड ब्याज का अनारोपण एवं अन्य विसंगतियां से संबंधित राशि ₹ 253.58 करोड़ के प्रकरण पाये गये। यह चिंता का विषय है कि विभाग द्वारा उपलब्ध अभिलेखों पर हमारे द्वारा कमियों को इंगित किए जाने के बावजूद विभाग ने ऋण तथा ब्याज की राशि के पुनर्भुगतान हेतु कार्यवाही नहीं की शासन द्वारा राशि ₹ 217.51 करोड़ के आक्षेप स्वीकार किए गए तथा दो प्रकरणों में राशि ₹ 92.47 लाख वसूल की (दिसम्बर 2012)।

निष्कर्ष	विभाग को आवश्यकता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर करने के साथ साथ आंतरिक लेखापरीक्षा को भी मजबूत करे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। शासन को चाहिए की हमारे द्वारा आक्षेपित प्रकरणों में जिसे विभागों द्वारा स्वीकार किया गया है पर त्वरित कार्यवाही कर बकाया ऋण की राशि एवं ब्याज की राशि को संबंधितों से जमा कराये।

अ : वन प्राप्तियाँ

7.1 कर प्रशासन

वन विभाग मुख्यतः काष्ठ, जलाऊ लकड़ी, बांस एवं लघु वनोपज के विक्रय से राजस्व अर्जित करता है, जो कि शासन के मुख्य राजस्व स्रोत हैं। वनोपज का निवर्तन नीलामी, निविदा आमंत्रण आदि के माध्यम से होता है। वनों की सुरक्षा, संरक्षण, विकास तथा पुनरोत्पादन, काष्ठ का विदोहन एवं वनों की स्थायी वृद्धि विभाग में व्यय के विभिन्न मद हैं।

वन विभाग, मुख्य सचिव (वन) के अधीन कार्य करता है। रायपुर स्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.)का कार्यालय विभाग के पूर्णरूपेण प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। मुख्यालय स्तर पर प्र.मु.व.सं. के सहायक के रूप में अतिरिक्त प्र.मु.व.सं. एवं मु.व.सं. रहते हैं।

राज्य का वन क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जगदलपुर, कांकेर एवं दुर्ग में स्थित छः वन सरंक्षकों द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है। राज्य का वन क्षेत्र 32 वनमंडलों में विभाजित है। वनमंडलों के प्रशासन, वनोपज के विक्रय, राजस्व संग्रहण के साथ साथ वनों की सुरक्षा, संरक्षण, विकास तथा पुनरोत्पादन, स्थायी वृद्धि तथा काष्ठ विदोहन का उत्तरदायित्व वनमंडलाधिकारी (व.मं.अ.) का है। व.मं.अ. की सहायता हेतु वनमंडल में उपवनमंडलाधिकारी (उ.व.मं.अ.) रहते हैं। वनों की सुरक्षा के अतिरिक्त, वनक्षेत्रपाल रोपण कार्य, वृक्षों के अंकन एवं विदोहन, काष्ठ एवं जलाऊ लकड़ी के कूपों[1] से काष्ठगारों में परिवहन आदि हेतु उत्तरदायी है। कार्य आयोजना वृत्त (बिलासपुर) एवं वनमंडलों का उत्तरदायित्व कार्य आयोजनाओं को समयसीमा के अंतर्गत तैयार करना है। विभाग निम्न अधिनियमों, नियमों एवं आदेशों का पालन करता है :

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अंतर्गत बने नियम;
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं उसके अंतर्गत बने नियम;
- छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1960 एवं उसके अंतर्गत बने नियम;
- वन वित्तीय नियम;
- राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता, 2004;
- वन मैन्युअल; एवं
- राजस्व निर्धारण एवं संग्रहण के संबंध में शासन/विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेश/दिशा निर्देश

7.2 वानिकी एवं वन्य जीवन से राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य वन विभाग की वास्तविक प्राप्तियों एवं राज्य की कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है :

[1] कार्य आयोजना में वन क्षेत्र को विभिन्न कार्य वृत्तों में विभक्त किया जाता है। कार्यवृत्तों को कक्षों में तथा कक्षों को कूपों में विभक्त किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचलन आधिक्य (+)/ कमी (-)	विचलन का प्रतिशत	राज्य की कुल कर भिन्न प्राप्तियाँ	कुल कर भिन्न प्राप्तियों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत
2007-08	250.00	258.07	8.07	3.23	2020.45	12.77
2008-09	280.00	322.29	42.29	15.10	2202.21	14.63
2009-10	365.00	345.85	(-) 19.15	(-) 5.25	3043.00	11.36
2010-11	400.00	305.17	(-) 94.83	(-) 23.71	3835.32	7.95
2011-12	400.00	341.64	(-) 58.36	(-) 14.59	4058.48	8.42

(स्रोत : छत्तीसगढ़ शासन का वित्त लेखा)

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि यद्यपि 2007-08 एवं 2008-09 में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से अधिक थी, 2009-10 से 2011-12 के मध्य वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से कम थी एवं कमी का प्रतिशत पांच से 24 प्रतिशत के मध्य था। अनुरोध किये जाने के उपरांत भी (नवम्बर 2012) विभाग द्वारा कमी आने के कारणों की जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई। इसी प्रकार, राज्य के कर भिन्न राजस्व में वन प्राप्तियों का हिस्सा जोकि 2007-08 में 12.77 प्रतिशत था, 2008-09 में बढ़कर 14.63 प्रतिशत हो गया एवं उसके पश्चात 2009-10 से गिरना प्रारंभ हो गया।

7.3 बकाया राजस्व का विश्लेषण

दिनांक 31 मार्च 2012 को बकाया राजस्व की राशि ₹ 1.62 करोड़ थी, जिसमें से राशि ₹ 24 लाख पांच वर्षो से अधिक समय से बकाया थी। अवधि 2007-08 से 2011-12 के मध्य राजस्व बकाया की स्थिति निम्न तालिका में दर्शित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया का पूर्व शेष	बकाया का अंत शेष
2007-08	0.24	0.30
2008-09	0.30	0.45
2009-10	0.45	2.39
2010-11	2.39	2.45
2011-12	2.45	1.62

(स्रोत : विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

7.4 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अतिमहत्वपूर्ण अंग है जोकि संगठन को स्वयमेव आश्वस्त करता है कि निर्धारित पद्धतियाँ उचित रूप से कार्यशील हैं।

विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई ने वर्ष 2011-12 में छः इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पन्न की। नवंबर 2012 तक, वर्ष 2011-12 में लेखापरीक्षित छः इकाईयों में से मात्र दो इकाईयों के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये थे।

7.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

7.5.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थितिः

वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में हमने अपने निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से बांस/काष्ठ के विदोहन न करने, बांस/काष्ठ के कम उत्पादन, वनोपज की कमी, राजस्व हानि आदि के 1702 प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 245.03 करोड़ समाहित है, को इंगित किया था। इनमें से 1386 प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 136.19 करोड़ समाहित है, के लेखापरीक्षा आक्षेपों को विभाग/शासन ने स्वीकृत किया है। विस्तृत विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	आक्षेपित राशि		स्वीकृत राशि	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
2006-07	7	58	104.48	58	104.48
2007-08	1	5	5.17	5	5.17
2008-09	11	285	19.60	256	9.79
2009-10	11	1002	95.29	998	15.58
2010-11	9	352	20.49	69	1.17
योग		**1702**	**245.03**	**1386**	**136.19**

7.5.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थितिः

वर्ष 2006-07, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान हमने अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से राजस्व की कम/अवसूली, वनोपज की कमी आदि के प्रकरणों, जिनमें राशि ₹104.52 करोड़ समाहित है, को इंगित किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	कुल राशि	स्वीकृत राशि
2006-07	2.43	-
2009-10	87.19	9.02
2010-11	14.90	1.64
योग	**104.52**	**10.66**

7.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमने वर्ष 2011-12 में वन विभाग की 12 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की। हमने बांस/काष्ठ के विदोहन न करने, बांस/काष्ठ के कम उत्पादन, वनोपज की कमी, राजस्व हानि आदि के कारण राजस्व की कम/अवसूली के 335 प्रकरण, जिनमें ₹ 23.38 करोड़ की राशि सन्निहित थी, पाये जिन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय करने से कम प्राप्ति	97	0.53
2	वनोपज में ह्रास/कमी होने से अवसूली	23	0.35
3	काष्ठ के कम उत्पादन से राजस्व हानि	39	1.75
4	अन्य अनियमितताएं	176	20.75
	योग	**335**	**23.38**

वर्ष 2011-12 के दौरान विभाग ने 14 प्रकरणों में राशि ₹ 18 लाख की हानि को स्वीकार किया एवं एक प्रकरण में राशि ₹ 12,640/- की वसूली की।

वनोपज में सुखत, काष्ठगार में काष्ठ की कम प्राप्ति, परिवहन में देरी एवं वनोपज की कमी के कारण राजस्व हानि, आदि के राशि ₹ 72.04 लाख के कुछ उदाहराणात्मक प्रकरण अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

7.7 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

हमने विभिन्न व.म.अ. के अभिलेखों की जाँच की एवं अधिनियमों/नियमों/शासकीय अधिसूचना/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के अनेक प्रकरण पाया जिनमें काष्ठ/बांस का अपातन/कम पातन, काष्ठ का कम उत्पादन, वनोपज में कमी आदि के कारण राजस्व हानि हुई जिनका वर्णन इस अध्याय की अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है। ये प्रकरण उदाहरणात्मक हैं एवं हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच पर आधारित है। वनमंडलाधिकारियों द्वारा हुई इस प्रकार की अनियमितताएं प्रत्येक वर्ष इंगित की जाती हैं किन्तु ये अनियमितताएं न केवल बनी रहती हैं बल्कि लेखापरीक्षा संपादित होने तक इनका पता नहीं लग पाता है। विभाग को आवश्यकता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बेहतर किया जावे ताकि इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

7.8 निस्तार[2] काष्ठगारों में जलाऊ लकड़ी पर अनुमत्य सीमा से अधिक सूखत दिया जाना

शासन के आदेश दिनांक 11.06.1990 द्वारा काष्ठगार में रखी मध्यम घनत्व के जलाऊ लकड़ी के लिए प्रथम वर्ष में 15 प्रतिशत की सूखत मान्य की गयी । यह भी स्पष्ट किया गया कि यह सूखत उसी जलाऊ लकड़ी के लिए मान्य की जावेगी जो उसी वर्ष विशेष में निर्मित होकर विक्रय डिपो में प्राप्त होती है। अविक्रित जलाऊ लकड़ी, नीलामी द्वारा विक्रय हेतु विक्रय काष्ठगार प्रेषित की जावेगी। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 22 (1) के अनुसार हानि के प्रकरण की सूचना तत्काल विभाग प्रमुख को प्रेषित की जानी चाहिए एवं जांच पश्चात वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जानी चाहिए।

रायगढ़ वनमंडल के निस्तार अभिलेखों की नमूना जांच में (फरवरी 2011), हमने पाया कि वर्ष 2008 एवं 2010 के मध्य छः निस्तार काष्ठगारों में 10 अवसरों पर 11,483.20 क्विंटल जलाऊ लकड़ी प्राप्त हुआ। नियमानुसार 1,722.48 क्विंटल (15 प्रतिशत) सूखत मान्य की जानी थी। तथापि, इन काष्ठगारों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों से पाया गया कि वनमंडल द्वारा 2,938.53 क्विंटल सूखत मान्य किया गया। इस प्रकार, वनमंडल द्वारा गलत तरीके से 1,216.05 क्विंटल अधिक सूखत मान्य किये जाने से शासन को राशि ₹ 2.84 लाख की राजस्व हानि हुई (विवरण **परिशिष्ट-7.1** में दर्शाया गया है)। विभाग द्वारा प्रकरण की जांच एवं संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण करने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इसे जब लेखापरीक्षा में इंगित किया गया (जून 2012), शासन ने कहा (अगस्त 2012) कि संबंधित कर्मचारियों से राशि की वसूली की प्रक्रिया जारी है। आगे का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2012)।

[2] निस्तार का अर्थ है वन क्षेत्रों के पांच कि.मी. के भीतर रहने वाले जरूरतमंद ग्रामीणों को बांस, बल्ली और जलाऊ चटटा की आपूर्ति राज्य साहाय्य दर पर उपलब्ध कराना।

7.9 काष्ठ कूपों में काष्ठ का अपरिवहित पड़े रहना

फॉरेस्ट मैन्युअल की कंडिका 114 (ए) के अनुसार कटे हुए काष्ठ का उपयोगी जीवन पाँच वर्ष है अतः कटे हुए काष्ठ के मूल्य में प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत का ह्रास होता है। इसे ध्यान में रखकर वन विभाग द्वारा ठेकेदारों द्वारा कूप से काष्ठगार तक काष्ठ का परिवहन इस शर्त पर कराया जाता है कि समस्त विदोहित मात्रा का परिवहन माह मई तक पूर्ण किया जाए, अर्थात वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले, ताकि वनोपज को बारिश के कारण गुणवत्ता में ह्रास से बचाया जा सके एवं नीलामी हेतु यथाशीध्र उपलब्ध कराया जा सके। निविदा की शर्तों में यह स्पष्ट प्रावधानित है कि निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर ठेकेदार से परिवहन व्यय की वसूली की जाए। इसके अलावा ठेकेदार कटे हुए काष्ठ के परिवहन के दौरान हुई हानि की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

तीन[3] वनमंडलों के कूप से काष्ठगार तक परिवहन किये गये काष्ठ अभिलेखों की नमूना जांच में (जून 2009 से जनवरी 2011) हमने पाया कि वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक 51 कूपों[4] में राशि ₹ 2.98 करोड़ मूल्य के काष्ठ वर्ष में 30 जून के पश्चात भी कूप में पड़े थे जिनका विदोहन के एक से दो वर्ष पश्चात भी काष्ठगार तक परिवहन होना नहीं पाया गया। आगे जांच में देखा गया कि काष्ठ के अपरिवहित रहने के निम्न कारण थे- विभाग द्वारा परिवहन हेतु निविदा न किया जाना[5], ठेकेदारों द्वारा निविदा की शर्तों का पालन न किया जाना एवं विभाग द्वारा ठेकेदारों पर निविदा शर्तों को लागू किये जाने में विफलता। अतः न केवल वनोपज नीलामी हेतु विक्रय काष्ठगारों में विलंब से प्राप्त हुआ बल्कि गुणवत्ता में ह्रास के कारण वनोपज के मूल्य में भी ह्रास हुआ। आगे, वर्ष 2009-10 में विदोहित वनोपज का आज तक परिवहन नहीं होना पाया गया (जनवरी 2011)। परिणामस्वरूप, विहित अवधि के भीतर वनोपज का परिवहन न किये जाने से मूल्य ह्रास के कारण राशि ₹ 59.83 लाख की हानि हुई (विवरण ***परिशिष्ट-7.2*** में दर्शाया गया है)।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012), शासन ने कहा (अक्टूबर 2012) कि उदंती एंव कोरिया वनमंडल में नक्सली गतिविधियों के कारण परिवहन प्रभावित रहा, कोरिया एवं बिलासपुर वनमंडल में असामयिक वर्षा एवं बिलासपुर वनमंडल में कार्य आयोजना विलंब से स्वीकृत होने के कारण वनोपज परिवहन प्रभावित हुआ। आगे यह भी कहा गया कि यह सही है कि वनोपज का समय पर परिवहन न होने के कारण उसके गुणवत्ता के उपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किन्तु प्राकृतिक कारकों एवं अप्रत्याशित कारणों से वनोपज का समय पर परिवहन नहीं हो सका।

[3] बिलासपुर, कोरिया एवं उदंती
[4] बिलासपुर - पाँच कूप, कोरिया- 8 कूप एवं उदंती - 38 कूप
[5] कोरिया वनमंडल, वर्ष 2006-07 में

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि कूप से काष्ठगार तक काष्ठ के परिवहन के पहले वृक्षों का चिन्हांकन कार्य कराया गया एवं कोरिया एवं उदंती वनमंडलों के 46 कूपों[6] में चिन्हांकित सभी वृक्षों का विदोहन किया गया। यदि नक्सल समस्या होती तो ये समस्त कार्य भी नहीं कराये जा सकते थे। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कोरिया वनमंडल में वर्ष 2007 से 2010 की अवधि में माह अप्रैल एवं मई में कोई बारिश नहीं हुई एवं बिलासपुर वनमंडल में वर्ष 2007 में माह अप्रैल एवं मई में बहुत हल्की बारिश[7] हुई। आगे, कार्य आयोजना में दिये विवरण एवं परिवहन हेतु निविदा की शर्तों के अनुसार वनोपज का कूप से काष्ठगार तक परिवहन, वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के काफी पहले, माह जून के अंत तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था ताकि यथासंभव बारिश के पहले घने जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों से वनोपज का परिवहन किया जा सके।

7.10 डिपो में वनोपज की कमी

वन वित्तीय नियम के प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय- समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक निस्तार/उपभोक्ता डिपो का भौतिक सत्यापन प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए एवं माह जून के अंत में वनोपज की स्थिति का प्रतिवेदन वनमंडलाधिकारी एवं वनसंरक्षक को प्रेषित किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता के नियम 22 (1) के अनुसार हानि के प्रकरण की सूचना तत्काल विभाग प्रमुख को प्रेषित की जानी चाहिए एवं जांच पश्चात वसूली की कार्यवाही प्रारंभ की जानी चाहिए।

वनमंडल कांकेर के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की नमूना जांच में (सितम्बर 2011), हमने पाया कि 30 जून 2008 की स्थिति में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार आठ निस्तार/उपभोक्ता डिपो में 780 नग बांस एवं 504 जलाऊ चट्टे की कमी पायी गयी। परिणामस्वरूप, राशि ₹ 3.94 लाख की राजस्व हानि हुई (विवरण ***परिशिष्ट-7.3*** में दर्शाया गया है)। आगे, प्रकरण विभागाध्यक्ष को सूचित किये जाने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं पाए गए।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012), शासन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2012) कि संबंधित कर्मचारियों से वसूली की प्रक्रिया प्रगति पर है।

[6] कोरिया वनमंडल - 8 कूप एवं उदंती वनमंडल - 38 कूप

[7] बहुत हल्की बारिश - एक दिन में 0.1 से 2.4 मि.मी. बारिश होना

7.11 काष्ठ की हानि

कार्य आयोजना के निर्देशों के अनुसार विदोहन पश्चात लटठे की माप छाल निकालकर मध्य बिंदु पर ली जावेगी। परिवहन पश्चात काष्ठगार में काष्ठ का पुनः मापन किया जावेगा। काष्ठ के सूखत के कारण होने वाले सिकुड़न को ध्यान में रखते हुए लटठे के गर्थ की माप में 2 से 3 से.मी. की कमी मान्य की जावेगी । विभाग में आयतन की गणना हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले रेडी रेकनर के अनुसार लटठे एवं बल्ली के परिवर्तन बिंदु पर गर्थ में कमी होने पर काष्ठ के आयतन में होने वाली अधिकतम (अधिकतम आठ मी. लम्बाई के लटठे के लिए) कमी निम्नानुसार है-

गर्थ के 42 से.मी. से 40 से.मी. होने पर आयतन में कमी (सागौन हेतु)	0.008 घ.मी.
गर्थ के 52 से.मी. से 50 से.मी. होने पर आयतन में कमी (अन्य प्रजाति)	0.010 घ.मी.

पूर्वी सरगुजा वनमंडल के काष्ठ उत्पादन प्रतिवेदन एवं परिवहन अभिलेखों का काष्ठगार अभिलेखों के साथ प्रति-परीक्षण करने पर (मार्च 2011), हमने पाया कि वर्ष 2007-08 में चार कूप एवं 2008-09 में एक कूप से काष्ठगार (डिपों) प्रेषित काष्ठ की मात्रा में काफी अंतर थे। काष्ठगार (डिपो) प्रेषण के समाधान पत्रक में पाया गया कि 3,446 नग प्रेषित लटठा, 2,521 नग बल्ली एवं 905 नग रेलवे ट्राम लाईन (आर.टी.एल.) में परिवर्तित हो गये थे। नियमानुसार मान्य सूखत एवं सूखत के कारण आयतन में अधिकतम परिवर्तन के अनुसार आयतन में अधिकतम कमी 29.984 घ.मी.[8] होनी चाहिए थी। लेकिन, प्राप्त काष्ठ के आयतन में वास्तविक कमी 85.995 घ.मी. हुई। इस प्रकार, मान्य सूखत से अधिकतम सूखत दिये जाने से 56.011 घ.मी. अधिक काष्ठ की हानि हुई जिसमें 43.547 घ.मी. सागौन एवं 12.464 घ.मी. अन्य प्रजाति के काष्ठ सम्मिलित थे। परिणामस्वरूप, शासन को राशि ₹ 5.43 लाख की हानि हुई (विवरण ***परिशिष्ट-7.4*** में दर्शाया गया है)।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जून 2012), शासन ने कहा (अगस्त 2012) कि वनमंडल का भौगोलिक क्षेत्र असामान्य ऊंचा-नीचा तथा ढलान युक्त होने एवं श्रमिकों के कम पढ़े लिखे होने के कारण कूपों में मापन कार्य में त्रुटि होने की संभावना रहती है। अतः काष्ठागार में वनोपज के माप को अंतिम माना जाता है। कूपों से भेजी गयी एवं काष्ठगार में प्राप्त काष्ठ की संख्या में कोई अंतर नहीं है, काष्ठगार में पुनर्मापन के कारण केवल मात्रा में अन्तर आया है।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि लटठे के आयतन में पायी गयी कमी, परिवहन के दौरान मान्य की गयी अधिकतम कमी से काफी अधिक थी। आगे, मुख्य वन सरंक्षक (उत्पादन) के निर्देश दिनांक अक्टूबर 1997 के अनुसार कूप में लिये गये माप एवं

[8] घन मीटर

काष्ठगार में लिये गये माप के मध्य गोलाई में अधिकतम दो से तीन से.मी. की कमी मान्य की गयी है। यदि अंतर मान्य सीमा से अधिक है तो यह माना जायेगा कि कूप प्रभारी या उत्तरदायी कर्मचारी के द्वारा कूप में नाप लेते समय लापरवाही बरती गई है। कटाई एवं संग्रहण पर जो अधिक व्यय हुआ है, वह कूप प्रभारी या संबंधित उत्तरदायी कर्मचारी से वसूल किया जायेगा। आगे, विभाग द्वारा सभी कारकों को विचार में लेते हुए, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र भी सम्मिलित है, सूखत के संबंध में मापदंड निर्धारित किया गया था।

ब : वित्त विभाग

7.12 ब्याज प्राप्तियाँ

7.12.1 प्रस्तावना

ब्याज प्राप्तियाँ राज्य शासन के कर भिन्न राजस्व का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें रोकड़ बाकी निवेश पर वसूल ब्याज के अलावा विभिन्न सरकारी उपक्रमो, संगठनों गैर सहकारी संगठनों, निगमों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और अन्य संगठनों एवं सरकारी कर्मचारियों सहित व्यक्तियों को ऋण एवं अग्रिमों का उद्देश्य ध्यान में रखते हुए विभिन्न दरों से ऋण स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 2011-12 में ब्याज प्राप्तियाँ ₹ 63.41 करोड़ थी एवं शासन के कर भिन्न प्राप्तियों में उसका प्रतिशत 1.6 था।

इच्छुक ऋणग्रहीत संगठन संबंधित ऋण स्वीकृत विभागों को ऋणों के प्रस्ताव प्रस्तुत करते है। ऋण स्वीकार करने वाले विभागों द्वारा प्रस्तावों पर कार्यवाही कर भुगतान की विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, वित्त विभाग की सहमति से ऋण स्वीकृत किये जाते है। ऋण एवं अग्रिमों के विस्तृत लेखे रखने एवं उसके वसूली पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/नियंत्रण अधिकारियों/संचालनालय/ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों की है।

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, खंड-I, (अध्याय-13) में, ऋण स्वीकृत किए जाने हेतु अनुशंसा, ब्याज की दर का निर्धारण, स्वीकृत ऋणों एवं अग्रिमों पर वसूली पर निगरानी एवं मूलधन तथा उस पर ब्याज की सामयिक वसूली किए जाने हेतु अनुदेशों को निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, शासन ने ब्याज प्राप्तियों से संबंधित परिपत्र समय समय पर जारी किये है।

हमने ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संपादित किया कि क्या (अ) ऋणों के भुगतान एवं ब्याज की दरों पर निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकृति आदेशों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है; (ब) यह सुनिश्चित करने के लिए विभागों द्वारा निबंधन एवं शर्तो को निर्दिष्ट करने के बाद ही ऋणों का संवितरण किया गया था; (स) मूलधन एवं उस पर ब्याज की वसूली की समय समय पर मांग की गई थी; तथा (द) प्रणालीगत एवं अनुपालन तथा अभिलेखों के संधारण को प्रभावी ढंग से लागू किया गया था। लेखापरीक्षा ने कई विसंगतियों को उजागार किया जिसमें प्रणालीगत विसंगतियाँ भी शामिल हैं जैसे ऋण स्वीकार करने वाले विभाग और वित्त विभाग दोनों के द्वारा ऋणों पर अपर्याप्त निगरानी, बकायादारों के विरूद्ध कार्यवाही न

होना, अपर्याप्त नियंत्रण प्रणाली जिसमें मूल अभिलेखों का अनुचित संधारण इत्यादि भी शामिल हैं । उपरोक्त विसंगतियों से संबंधित चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

हमने लेखापरीक्षा के लिए 2007-08 से 2011-12 की अवधि में सात[9] विभागों द्वारा संवितरित ऋणों की लेखापरीक्षा की। सात विभाग जिनमें 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान स्वीकृत किए गए ऋणों का 99.83 प्रतिशत समाहित है, लेखापरीक्षा के लिए चयनित किए गए।

7.12.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

हमारे द्वारा वर्ष 2011-12 में सात विभाग अर्थात कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं यान्त्रिकी, परिवहन तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। हमने लेखापरीक्षा में ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण एवं अन्य विसंगतियों के प्रकरणों में राशि ₹ 253.58 करोड़ के प्रकरण पाये जो निम्न श्रेणियों में विभाजित किए गए हैः

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	ब्याज की राशि मांग न किया जाना	76	249.29
2	ब्याज की राशि की कम वसूली	6	4.29
योग		**82**	**253.58**

2012-13 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दो प्रकरणों में राशि ₹ 92.47 लाख वसूल की गई।

वित्तीय प्रभाव वाले कुछ उदाहरणात्मक प्रकरण जिसमें राशि ₹ 253.58 करोड़ समाहित है, अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित है।

[9] कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग, सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं यान्त्रिकी परिवहन तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

7.12.3 बकाया ऋण

शासन के विभिन्न विभागों एवं शासकीय कर्मचारियों को विगत पाँच वर्षो में प्रदाय किये गये ऋण एवं उसका पुनर्भुगतान की स्थिति नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान स्वीकृत ऋण	योग	ऋण का पुनर्भुगतान	पुनर्भुगतान का प्रतिशत [(5) की तुलना में (2)]	अंतिम शेष
2007-08	1,604.61	500.28	2104.89	437.52	27.27	1,667.37
2008-09	1,667.37	490.75	2158.12	533.41	31.99	1,624.71
2009-10	1,625.53*	896.79	2522.32	992.43	61.05	1,529.89
2010-11	1,529.89	566.55	2096.44	561.16	36.68	1,535.28
2011-12	1,535.64*	1,268.73	2,804.37	1,282.52	83.52	1,521.85

(स्रोत - छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे)

* *वर्ष 2009-10 तथा वर्ष 2011 -12 में क्रमशः ₹ 82.07 लाख एवं ₹ 35.94 लाख की वृद्धि कार्यालय महालेखाकार, मध्यप्रदेश से प्रोफार्मा समायोजन प्राप्त करने के कारण हुई।*

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि ऋणों का पुनर्भुगतान का प्रतिशत 27 से 84 के मध्य था।

7.12.4 बजट अनुमान एवं ऋण एवं अग्रिमो पर ब्याज प्राप्तियों की प्रवृत्ति

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में ऋण एवं अग्रिमों का बजट अनुमान एवं ब्याज प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विवरण निम्न तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अंतर (+)आधिक्य/(-) कमियाँ [(4) = (2) – (3)]	अंतर का प्रतिशत [(4) की तुलना में (2)]
2007-08	93.90	70.27	(-) 23.63	(-) 25.17
2008-09	88.02	121.89	(+) 33.87	38.48
2009-10	112.19	71.63	(-) 40.56	(-) 36.15
2010-11	82.63	81.22	(-) 1.41	(-) 1.71
2011-12	102.40	63.41	(-) 38.99	(-) 38.08

स्रोत - बजट अनुमान (राजस्व प्राप्तियाँ) तथा वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि, ऋणों एवं अग्रिमों के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में काफी अंतर है। वर्ष 2008-09 के अलावा वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमान से कम थी एवं विचलन का प्रतिशत 1.71 से 38.08 के मध्य रहा है। जबकि, वर्ष 2008-09 में वास्तविक प्राप्तियाँ बजट अनुमानों से 38 प्रतिशत अधिक था।

पुनः, शासन के ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ एवं वास्तविक प्राप्तियों का विवरण निम्न तालिका में दर्ज है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	शासन द्वारा अनुमानित अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ	ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज से वास्तविक प्राप्तियाँ
2007-08	2,020.45	70.27
2008-09	2,202.21	121.89
2009-10	3,043.00	71.63
2010-11	3,835.32	81.22
2011-12	4,058.48	63.41
योग	**15,159.46**	**408.42**

स्रोत - छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि में शासन की कुल अन्य कर भिन्न प्राप्तियों में ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज प्राप्तियों का प्रतिशत 2.69 था।

लेखापरीक्षा की उपलब्धियाँ

7.12.5 अभिलेखों का संधारण न किया जाना

नवम्बर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन पश्चात, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संयुक्त राज्य मध्यप्रदेश में लागू अधिनियम/नियम, प्रपत्र तथा ऋण स्वीकार किए जाने हेतु प्रक्रिया को अंगीकार किया गया है।

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिलेखों का संधारण किए जाने के संबंध में दिसम्बर 2003 में प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किया गया था जिससे मूलधन की किश्तों, ब्याज एवं दांडिक ब्याज की वसूली पर निगरानी रखी जा सके।

ऋण एवं अग्रिम पंजियों में ऋणवार जानकारी जैसे ऋण की स्वीकृत राशि, स्वीकृति का दिनांक, अवधि, ब्याज की दर, मूलधन के लिए किश्तें ऋण का पुनर्भुगतान, जमा ब्याज, ऋण, ब्याज तथा दाण्डिक ब्याज इत्यादि के समयबद्ध वसूली के लिए शर्तें (यदि कोई) दर्ज होनी चाहिए।

पुनः, छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, खंड-I, (अध्याय-13) के नियम 229 के टिप्पणी 2 के अनुसार ऋण स्वीकार करने वाले विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को फार्म एम.पी.एफ.सी-10 (अ) में ऋणों की स्थिति की जानकारी प्रस्तुत करेगा, जिसकी एक प्रति वित्त विभाग को दी जाएगी।

हमारे द्वारा नमूना जांच में लिए गए सात ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सहकारिता तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा ऋण एवं अग्रिमों संबंधी पंजियाँ, निर्दिष्ट प्रपत्रों में संधारण एवं नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है परंतु पाँच विभागों[10] द्वारा ऋणों संबंधी पंजियों का संधारण/ अद्यतन नहीं किया गया है। वित्त विभाग द्वारा इन विभागों के अभिलेखों के संधारण तथा विवरणियों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली संस्थापित नहीं की गई

[10] कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग, खाद्य नागरिक आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी तथा परिवहन

थी। विवरणों के अभाव में स्वीकृत आदेश, स्वीकृत ऋण की राशि, ब्याज की दर/दांडिक ब्याज की दर, पुनर्भुगतान की अवधि, स्थगन अवधि, देय राशि वसूली इत्यादि की जानकारी ऋण एवं अग्रिम पंजियों में नहीं होने से, मूलधन एवं ब्याज की किश्तों की मांग एवं वसूली ऋण स्वीकार करने वाले विभागों की निगरानी में नहीं है। उसी प्रकार वर्ष

2007-08 से 2011-12 के मध्य नमूना जाँच किए गए सात ऋण स्वीकार करने वाले विभागों द्वारा बकाया मूलधन एवं ब्याज का निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी फार्म एम.पी.एफ.सी.-10 (अ) में बकाया मूलधन एवं ब्याज संबंधी जानकारी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

शासन ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2012) कि संबंधित विभागों को पंजियों के रखरखाव हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

ऋण स्वीकार करने वाले विभागों द्वारा अभिलेखों का संधारण तथा विवरणियों की प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों पर शासन द्वारा विचार किया जा सकता है जिससे ऋणों तथा उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान का परिवीक्षण किया जा सके।

7.12.6 आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे द्वारा मार्च से जून 2012 के मध्य जांच में पाया कि आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा वित्त विभाग एवं नमूना जांच में लिए गए ऋण स्वीकार करने वाले विभागो में स्थापित नहीं था। परिणामस्वरूप ऋण स्वीकार करने वाले विभाग, ऋण पंजियों का संधारण, बकाया मूलधन एवं ब्याज वसूली हेतु समय पर मांग पत्र जारी करना तथा समय पर वित्त विभाग को प्रतिवेदन एवं विवरणीयाँ प्रस्तुत करने जैसी कमियों को पकड़ने में असफल रहे।

शासन ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2012), कि ऋण की स्वीकृति एवं पुनर्भुगतान पर निगरानी हेतु अलग से एक ऋण प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। अन्यथा निदेशक, वित्त संस्थाओं द्वारा ऋण और अग्रिमों पर परिविक्षण रखा जाएगा।

7.12.7 ऋणों में निबंधनों एवं शर्तों के प्रावधानों का अभाव

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता, खंड -I (अध्याय-13) के नियम 220 के अनुसार, शासन द्वारा प्रदाय ऋणों की स्वीकृति आदेशों में ऋण राशि की निबंधन एवं शर्तें जैसे कि किश्तों की संख्या, किश्तों की राशि, ऋण की अवधि, ब्याज की दरें, ऋण वसूली न होने की स्थिति में आरोपणीय दांडिक ब्याज, प्रथम किश्त चालू का दिनांक, स्थागन अवधि आदि दर्ज होनी चाहिए।

नमूना जांच में शामिल ऋण स्वीकार करने वाले विभागों द्वारा जारी ऋणों के स्वीकृति आदेशों की जाँच में हमने पाया कि, आदेशों में निबंधनों एवं शर्तों को सही तरीके से निर्दिष्ट नहीं किया गया, या अनुचित प्रावधान किए गए थे जिनकी चर्चा निम्न कंडिकाओं में की गई हैः

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

7.12.7.1 ऋण की देय ब्याज का उल्लेख निबंधनों एवं शर्तो में निर्धारित करने में विफलता के कारण दांडिक ब्याज वसूल न होना

कार्यालय संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, द्वारा जारी स्वीकृति आदेशों की जांच के दौरान हमने पाया (जून 2012) कि, वर्ष 2009-10 में छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम को राशि ₹ 500 करोड़ का ऋण वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत किया गया था। ऋणों के स्वीकृत आदेशों की शर्तों के अनुसार दिये गये ऋण पर आठ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ ऋण की अदायगी उसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च 2010 तक या इसके पूर्व जमा किया जाना था। निगम द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में (27 मार्च 2010) मूलधन तथा ब्याज की राशि ₹ 12.76 करोड़ 353 दिनों के पश्चात जमा (मार्च 2011) किया गया। आदेश में ब्याज की अदायगी हेतु कोई समयावधि नहीं होने से विभाग निगम से ब्याज की राशि जमा किये जाने हेतु मांग जारी नहीं कर सका। मूलधन के भुगतान के साथ यदि इसको शामिल किया जाता तो, दंड ब्याज प्रति वर्ष तीन प्रतिशत की दर से राशि ₹ 37 लाख वसूल किए जा सकते थे।

शासन ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2012), कि स्वीकृत आदेशों का नमूना/प्रारूप सभी ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को प्रेषित किया जावेगा।

लोक स्वास्थ्य एवं यान्त्रिकी विभाग

7.12.7.2 ऋण के स्वीकृति हेतु निबंधनों एवं शर्तो में विसंगति

वित्त विभाग की सहमति से वर्ष 2007-08 से 2011-12 के मध्य लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग द्वारा जारी ऋण स्वीकृत आदेशों, की जांच में हमने पाया (मई 2012) कि 11 स्वीकृत आदेशों में ऋण के निबंधनों एवं शर्तो में विसंगतियाँ हैं। आदेशों में विभाग द्वारा ऋण के प्रत्येक प्रकरण में पुनर्भुगतान हेतु स्थगन अवधि स्पष्ट नहीं दर्शाई गई है, जिससे ऋण ग्रहीता को अनुचित लाभ पहुँचाया जा सकता है। उसी प्रकार स्वीकृति आदेशों में ऋण की अवधि तथा स्थगन अवधि समान दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा वापसी हेतु किश्तों की संख्या एवं किश्तों की राशि प्रति वर्ष दर्ज करने में चूक से वापसी योग्य राशि की गणना करने में कठिनाई हुई। अतः स्वीकृति आदेशों में विशिष्ट एवं स्पष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अभाव में ऋण की वसूली लेखापरीक्षा की तिथि तक विभाग नही कर सका (मई 2012)।

लोक स्वास्थ्य एवं यान्त्रिकी विभाग द्वारा ऋण स्वीकृति हेतु मानक प्रारूप अपनाए नहीं गये थे, परिणामस्वरूप विभिन्न स्वीकृति आदेशों में ऋण संवितरण हेतु निबंधन एवं शर्तो में अंतर था। शेष छः ऋण स्वीकृति करने वाले विभागों ने भी अलग-अलग प्रारूप में स्वीकृति आदेश जारी किए थे।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (मई 2012) कि ऋण स्वीकृति संबंधी आदेशों का प्रारूप जो संयुक्त मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रचलन में था, को अपनाया गया था।

शासन ने स्पष्ट किया (सितम्बर 2012) कि स्वीकृति आदेशों का नमूना/प्रारूप सभी ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को प्रेषित किया जाएगा।

7.12.8 ब्याज के भुगतान की मांग न किया जाना

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता खंड-I अध्याय-13 के नियम 226(2) के अनुसार, ऋण स्वीकार करने वाले विभागों द्वारा ब्याज, ऋण राशि की वसूली हेतु मांग पत्र जारी करने के लिए समयबद्ध कार्यवाही करना चाहिए। ऋण ग्रहीता द्वारा समय पर दायित्व का निर्वहन नहीं किये जाने पर स्वीकृति आदेशों में दर्ज दांडिक ब्याज वसूलनीय है ।

ऋण स्वीकृति आदेशों में निर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तो के अनुसार, ऋण का पुनर्भुगतान एक वर्ष पश्चात समान वार्षिक किश्तों में तथा उस पर उपार्जित ब्याज नौ से 14.5 प्रतिशत की दर से ऋण ग्रहीता को पुनर्भुगतान करना है। यदि देय दिनांक तक मूलधन एवं ब्याज की राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहता है तो वह दांडिक ब्याज तीन प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंबित देय किश्त वसूलनीय है।

हमारे द्वारा पाँच ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों[11] द्वारा जारी स्वीकृत आदेशों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2003 से 2010 के मध्य राशि ₹ 275.59 करोड़ का ऋण प्रदाय किया गया। ऋण ग्रहीता द्वारा ऋण राशि एक वर्ष से चार वर्ष के पश्चात वापस की जानी थी परंतु उनके द्वारा लेखापरीक्षा दिनांक तक (मार्च-जून 2012), ऋण राशि की एक भी किस्त जमा नहीं की गई थी। विभागों द्वारा मूलधन की राशि ₹ 151.35 करोड़, ब्याज की राशि ₹ 91.80 करोड़ एवं शास्ति की राशि ₹ 6.41 करोड़ की मांग एवं वसूली नहीं की गयी (जैसाकि ***परिशिष्ट 7.5*** में दर्शित)।

शासन ने स्पष्ट किया (अक्टूबर 2012) कि संबंधित विभागों, जैसे वाणिज्य एवं उद्योग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास को दिनांक 27 सितम्बर 2012 को बकाया वसूली हेतु पत्र जारी किया जा चुका है। उसी प्रकार परिवहन विभाग के ऋण के पुनर्भुगतान हेतु शासन द्वारा यह स्पष्ट किया कि ऋण ग्रहीता की अचल संपत्तियों से विलंबित देय को समायोजित किया जाएगा।

शासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि सहकारिता विभाग के प्रकरण में ऋण् के पुनर्भुगतान की अवधि वर्ष 2011-12 तक पुनः निर्धारित की गई है। उत्तर सही नहीं है क्योंकि पुनः निर्धारण सिर्फ एक प्रकरण, जिसकी राशि ₹ पाँच करोड़ है, के लिए किया है। इस प्रकार ऋण की राशि, ब्याज एवं दांडिक ब्याज की राशि संबंधित ऋण ग्रहीता

[11] वाणिज्य एवं उद्योग , सहकारिता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, परिवहन तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास

संस्थाओं से वसूल किया जाना शेष है। आगे, एक अन्य प्रकरण में शासन द्वारा सूचित किया गया कि ऋण कि राशि वर्ष 2007-08 में स्वीकृत किया गया एवं वर्ष 2010-11 में निबंधन एवं शर्तों को निर्णित किया गया। ऋण ग्रहीता द्वारा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए देय मूलधन एवं ब्याज की राशि समय पर जमा की गयी। उत्तर सही नहीं है क्योंकि निबंधन एवं शर्तों के अनुसार (अक्टूबर 2010) ऋण का पुनर्भुगतान ऋण के स्वीकृति दिनांक अर्थात जनवरी 2009 से एक वर्ष पश्चात से किया जाना था।

7.12.9 ब्याज की कम वसूली

ऋण की राशि का पुनर्भुगतान, ऋण स्वीकृति आदेशों में दर्ज निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार किया जाएगा। यदि ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक होती है तो, तीन प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दंड ब्याज की वसूली की जाएगी।

हमारे द्वारा दो[12] विभागों के स्वीकृति आदेशों की जांच में पाया कि विभागों द्वारा वर्ष 2002-03 से 2010-11 के मध्य ₹ 1,112.74 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया। ब्याज की राशि का भुगतान, ऋण भुगतान के दिनांक से किया जाना था, न की राशि बैंक/कोषालय में वास्तविक प्राप्ति दिनांक से। विभागों द्वारा ऋण ग्रहीताओं से ब्याज की राशि ₹ 4.17 करोड़ के भुगतान हेतु मांग पत्र जारी नहीं किये गये। ब्याज की राशि के भुगतान नहीं होने पर दांडिक ब्याज की राशि ₹ 12 लाख मार्च 2012 तक विभागों द्वारा आरोपित नही किया गया (जैसा कि **परिशिष्ट-7.6** में दर्शित है)।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने उत्तर (अगस्त 2012) में बताया कि अभी तक दो प्रकरणों में राशि ₹ 92.47 लाख वसूल की गई।

[12] सहकारिता तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग